

क0: एफ 2(1)वित्त/जीएण्डटी-एस.पी.एफ.सी./2017

जयपुर दिनांक- 01-07-2021

परिपत्र

विषय:- ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल में बिड ओपनर्स की वर्तमान व्यवस्था 2/2 के स्थान पर 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था को लागू करने के संबंध में।

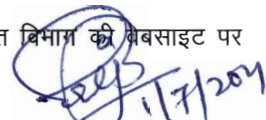
ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल पर वर्तमान में बिड ओपनर्स के लिए 2/2, 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था उपलब्ध है। दिनांक 01.07.2021 से उक्त व्यवस्था में 2/2 को हटाते हुए 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था ही रखी गई है।

अतः सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/बोर्ड/निगमों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि ई-प्रौक पोर्टल में बिड ओपनर्स की 2/3 एवं 2/4 की व्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र अंगीकृत करे। इस संबंध में उपापन प्राधिकारियों को बिड ओपनर्स के चयन में यदि कोई समस्या आती है तो इस हेतु ई-प्रोक्योरमेन्ट पोर्टल के हेल्पडेस्क पर सम्पर्क किया जा सकता है।


(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जीएण्डटी) विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण /राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायलय,जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान,जयपुर।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकतीकी निदेशक (तकनीकी), वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने का श्रम कराएँ।
15. रक्षित पत्रावली।


(गार्गी सिंह)
मुख्य लेखाधिकारी